उत्तर प्रदेश शासन

वित्त(सेवायें) अनुभाग-2

संख्या-32/2018/ एस-2-1268/दस-2018-88क(1)/2018 टी0सी0-।।

लखनऊ :: दिनाँक:: 31 मई,2018

कार्यालय-आदेश

श्री राज्यपाल, सम्यक विचारोपरान्त उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा के कॉलम संख्या-2 में उल्लिखित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या-3 में अंकित पद व स्थान पर तैनात किये जाने के सहर्ष आदेश प्रदान करते है:-

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम/ पदनाम/ वर्तमान तैनाती /ग्रेड वेतन	पद व स्थान, जहाँ स्थानान्तरित करके तैनात किया गया / ग्रेड वेतन
1	2	3
1	श्री सत्येन्द्र सागर, मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, सुल्तानपुर / 7600	मुख्य कोषाधिकारी, सहारनपुर /7600
2	श्री मनोज कुमार सिंह, वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, बिजनौर /6600	वरिष्ठ वित्त एवं लखाधिकारी, कृषि निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ/ 6600
3	श्रीमती रागिनी सिंह, मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ /7600	मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, पर्यटन विकास निगम, उ0प्र0 लखनऊ / 7600
4	श्री स्वतंत्र कुमार गुप्ता, मुख्य कोषाधिकारी, सहारनपुर / 7600	मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ /7600

2- उक्त स्थानान्तरित अधिकारी, अपने प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बगैर अपने वर्तमान पद व स्थान से तत्काल कार्यमुक्त होकर अपने नवीन तैनाती के पद व स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक की प्रति शासन एवं निदेशक कोषागार को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

अजय कुमार शुक्ला

सचिव।

संख्या-32/2018/एस-2-1268(1)/दस-2018-88क(1)/2018टी0सी0-।।,तददिनाँक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिवगण, उ0प्र0 शासन।

2- निदेशक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

3- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पर्यटन विकास निगम, लखनऊ।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

4- मुख्य विकास अधिकारी, सुल्तानपुर/बिजनौर।
5- आयुक्त/जिलाधिकारी, सहारनपुर/बिजनौर/सुल्तानपुर/लखनऊ।
6- निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
7- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय,शिविर कार्यालय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
8- मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी सहारनपुर/बिजनौर/सुल्तानपुर/लखनऊ।
9- संबंधित अधिकारीगण ।
10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(हरिश्चन्द्र)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।